रिपोर्ट पटवारी: सीमान्त जी
राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न
परिपत्रों अनुसार उक्त खातेदार की जाति रावणा राजपूत
लिखा जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक: पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्धि किया जाने में अभिशंसा
की जाती है।
5/5/2023

रिपोट तहसीलदार/नायब तहसीलदार:
राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र के निर्देशानुसार व मुताबिक हल्का पटवारी
व भू.अ.निरीक्षक के रिपोर्ट अनुसार आवेदक की जाति दरोगा के स्थान पर सम्मान सूचक
क्रमांक/शुद्धि/136/2023/ जाति रावणा राजपूत लिखे जाने की अनुशंसा की जाती है।
दिनांक / /202
कैम्प दुगोली/10 किलो 05/05/23

तहसीलदार(भू.अ.) जायल

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023"

आदेश

क्रमांक सं. शुद्धि/136/प्रगांके संग दुगोली/2023/73 दिनांक 5-5-23

प्रार्थी श्रीमती नानकदेवी पत्नी गोपालसिंह ग्राम जमला खातेदार अपनी
जाति दरोगा की जगह सम्मान सूचक रावणा राजपूत करने की
अपील किये। धारा-136 के तहत ग्राम- खारीजोधा, ~~[illegible]~~ खाता नं.
166, रकबा 3.1727 में पटवार हल्का दुगोली, उ.सं.नि.
दुगोली, तहसील जायल की अभिशंसा के आधार पर
प्रार्थी की जाति दरोगा के स्थान पर रावणा-राजपूत करने का आदेश कर
रेकर्ड में अमल-दरामद किया जाने का आदेश दिया
जाता है। शेष पत्रावली दफ्तर दाखिल रहे।

प्रभारी अधिकारी
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
उपखण्ड अधिकारी, जायल

"प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023"

सेवा समर्पण संतुष्टि

Scanned by CamScanner